कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................ / सम्बद्धता / 2020

दिनांक :..

ई–मेल / अत्यावश्यक

कार्यालय–ज्ञाप

सूच्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के कार्यरत न होने एवं कार्यरत शिक्षकों को शासनादेश के अनुरूप वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ" द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ से शिकायत की गयी है, इससे सम्बन्धित खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुयी है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन के निर्देशानुसार बार–बार मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों से कार्य लिये जाने व शासनादेश के प्राविधानानुसार वेतन भुगतान किये जाने के साथ ही शिक्षकों का विवरण भी महाविद्यालय की वेबसाईट व विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं, किन्तु सम्प्रति समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों से कार्य लिये जाने एवं उनके फोटो सहित समस्त विवरण अनिवार्य रूप से महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने के साथ ही शासनादेश के प्राविधानानुसार वेतन भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निम्न प्रारूप पर सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	कार्यरत शिक्षकों का नाम	अनुमोदित / अनानुमोदित	आधार कार्ड नं0	पैन कार्ड नं0	अनुमोदन पत्र संख्या व दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

अन्यथा की स्थिति में इसका अनुपालन न करने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही यथा सहयुक्तता समाप्त करने / प्रवेश प्रतिबन्धित करने आदि की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

(डॉ0 विनोद कुमार)
कुलसचिव

संख्या : Af 9058–62 दिनांक : 08/06/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
4. इंचार्ज, वेबसाईट / कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. प्रबन्धक, लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव